

20-12-16 पक्षकारान के वकील उपस्थित।  
वकील अपीलान्त द्वारा रिसपोर्ट सं. 6  
के कायम मुकाम की डूनी पेश  
नही की। ठीक पेश को। पतावनी  
तारीख 23-1-2017 को पेश हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

23-1-17 अपीलान्त के वकील अग्रिम रिसपोर्ट सं. 01  
की तौर से 6A उपस्थित। रिसपोर्ट सं. 2 से  
5 व 7 से 15 एक तरफ। न्यायालय, सिविल  
तह अलग-ठलग सत्र में तीन बार अपीलान्त  
लगाई गई, मगर अपीलान्त व उसके वकील  
उपस्थित नहीं हुए। यह पतावनी तारीख 22-8-13  
से रिसपोर्ट सं. 06 के कायम मुकाम की डूनी  
एवं संशोधित शर्तों पेश करने हेतु पल  
रही है। अपीलान्त के वकील को कई बार  
हिदायत देने के अलावा भी रिसपोर्ट सं. 6  
के कायम मुकाम की डूनी एवं संशोधित शर्तों  
पेश नहीं किए, इससे यह जाहिर होता है  
कि अपीलान्त इस प्रकार को चलाना नहीं  
चाहते। किन्तु अपीलान्त की अपील किडम पैरवी,  
किडम सत्ररी एवं किडम की पालना नहीं  
करने के फलस्वरूप स्वार्थ की जाती है पतावनी  
फिलाल सुमा सोमर बाद तबकील शरिवत रफ्तार हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)